न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 71/2025(GCMS 2025/345)

(RTI No. 212467749384727)

छगनलाल छाबड़ा निवासी बी–18 आनन्द विहार, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर
मोबाईल नम्बर : 94145–04294

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी छगनलाल छाबड़ा स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.06.2025 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि छगनलाल छाबड़ा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.06.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. दिनांक 20.03.2025 को जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्रार्थी द्वारा दिए गए आवेदन की प्रति (रसीद नं. 91 परिवाद प्राप्ति)
2. उपरोक्त आवेदन जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ को भेजे गए पत्र की प्रति।
3. उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा भेजे गए जांच प्रतिवेदन की प्रति मय संलग्नक
4. उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर आपके द्वारा प्रार्थी की समस्या समाधान पर की गई कार्यवाही
5. की गई कार्यवाही से प्रार्थियों को सूचित करने की प्रति।

लोक सूचना अधिकारी [illegible] अपने पत्रांक आर.टी. आई/64/2025/396 दिनांक 03.06.2025 से प्रार्थी [illegible] पत्र सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित की है। [illegible] सहायक निदेशक, लोक [illegible], कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आ[illegible]/2024/1266 दिनांक [illegible].07.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:49:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 71/2025
(GCMS No. 2025/345)

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना	प्रत्युत्तर
2	दिनांक 20.03.2025 को जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्रार्थी द्वारा दिए गए आवेदन जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ को भेजे गए आवेदन पत्र की प्रति।	संलग्न है।
4	उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर आपके द्वारा प्रार्थी की समस्या समाधान पर की गई कार्यवाही।	इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
5	की गई कार्यवाही से प्रार्थियों को सूचित करने की प्रति।	इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./2025/492–94 दिनांक 17.06.2025 से अपीलार्थी को प्रति देते हुए प्रार्थना पत्र अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ को निम्नानुसार अंतरित किया है :

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आवदेनकर्त्ता श्री छगनलाल छाबड़ा, निवासी बी–18, आनन्द विहार, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर का आर.आई.आई. आवेदन पत्र कार्यालय सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके बिन्दु संख्या 01 और 03 में चाही गई सूचनाएं आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण आर.टी. आई. की धारा 6(3) के तहत मूल ही अंतरित किया जाता है कि उक्त वांछित सूचना नियमानुसार निर्धारित अवधि में प्रार्थी को सीधे ही उपलब्ध करवाते हुए इस कार्यालय को अवगत करावें। यदि वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबधित नहीं है तो आवेदन पत्र सीधे ही निकटतम संबंधित कार्यालय को भिजवाकर आवेदक को सूचित करावें।

लोक सूचना अधिकारियों ने अपीलार्थी को [illegible] जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ए[illegible]) के [illegible] सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी** का [illegible] अर्थात् [illegible] **शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्र[illegible]मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:49:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 71/2025
(GCMS No. 2025/345)

आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी सहायक निदेशक लोक सेवाएं कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** द्वारा बिन्दु संख्या 02, 04, 05, एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा बिन्दु संख्या 01 व 03 के सम्बन्ध में अपीलार्थी को, जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। **बिन्दु संख्या 01 व 03 हेतु अपीलार्थी सक्षम अधिकारी के समक्ष वांछित सूचना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ एवं सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर,** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:49:25 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर